संशोधनों के बाद यूनीफाइड पालिसी प्राधिकरण में होगी लागू

नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक, पट्टा प्रलेख में उल्लिखित प्रविधानों संग प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का निस्तारण यूनीफाइड पालिसी से ही होगा

जागरण संवाददाता, नोएडा: नोएडा प्राधिकरण की 216वीं बोर्ड बैठक बृहस्पतिवार को मुख्य सचिव सह अवस्थापना व औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष नोएडा प्राधिकरण मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें कई अहम निर्णय हुए। इसमें औद्योगिक भूखंडों के आवंटन विषयक शासनादेश को प्राधिकरण में अंगीकृत कर भूखंडों की आवंटन योजना प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरणों में कार्य करने के लिए यूनीफाइड पालिसी (भूखंडों के आवंटन/ निरस्तीकरण/ पट्टा विलेख का निष्पादन/कब्जा आदि से संबंधित नीति) लागू करने पर चर्चा हुई। संशोधनों के उपरांत यूनीफाइड पालिसी को प्राधिकरण में लागू होगी। पट्टा प्रलेख में उल्लिखित प्रविधानों के अतिरिक्त प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सेवाओं का निस्तारण यूनीफाइड पालिसी के अनुसार ही होगा।

मनोज कुमार सिंह • जागरण आर्काइव

भूखंडों की कार्यशीलता संबंधी अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक तथा संस्थागत भूखंडों की 31 दिसंबर तक अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। जिन भूखंडों की अतिदेयता के कारण ओसी/सीसी अथवा कार्यशीलता प्रमाणपत्र जारी नहीं हो पा रही है, उन्हें भुगतान करने का एक अंतिम अवसर देने को शासन को संदर्भित किए जाने का निर्णय हुआ। प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय भूखंड/ फ्लैट के ऐसे कई प्रकरण है, जिनमें मल्टीपल जनरल पावर आफ अटार्नी होने से अंतरण/रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। ऐसे प्रकरणों के निस्तारण को एक व्यवस्था बनाने का निर्णय हुआ। बैठक में आनलाइन नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा.लोकेश एम समेत ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण सीईओ व अन्य सदस्य जुड़े।

300 बसों के संचालन को मिली सैद्धांतिक अनुमति

नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा प्राधिकरण क्षेत्र मे 500 वातानुकूलित ई-बसों का संचालन होना है। प्राधिकरण बोर्ड की ओर से नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 300 बसों के संचालन व उनके रूट पर सैद्धांतिक अनुमति दी गई।

यमुना प्राधिकरण के रूट: परी चौक से जेवर एयरपोर्ट वाया रबुपुरा व कासना बस डिपो से एयरपोर्ट वाया गलगोटिया विश्वविद्यालय।

नोएडा प्राधिकरण के रूट

300 ई-बस बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से दादरी बस स्टाप वाया सुरजपुर, शारदा यूनिवर्सिटी से जीबीयू वाया कासना, नोएडा सेक्टर-दो से वाया मोरना ग्रेनो सेक्टर-दो, नोएडा सिटी सेंटर टू गोवर्धनपुर शाहपुर, शशि चौक से ऐश सिटी, बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से डिपो मेट्रो वाया ग्रेनो प्राधिकरण, सेक्टर-12-22 से कासना, परी चौक से जेवर वाया रबुपुरा, तिगरी गोलचक्कर से रजनीगंधा चौराहा, नोएडा स्टेडियम से परी चौक, एक मूर्ति चौक से जीबीयू गेट नंबर तीन, बोटेनिकल गार्डन से संपूर्णम ग्रेनो वेस्ट, दादरी से जीबीयू, परी चौक से सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन, बिरला इंस्टीट्यूट से नोएडा सेक्टर-62, सेक्टर-62 से एनएसईजेड मेट्रो स्टेशन, सेक्टर-62 से दादरी वाया सुरजपुर, बोटेनिकल गार्डन से कश्मीरी गेट, परी चौक से आनंद विहार रेलवे स्टेशन व दादरी से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन।

ग्रेनो प्राधिकरण के रूट

100 ई-बस ग्रेटर नोएडा के सभी आवासीय सेक्टर, सिटी पार्क से कस्बा दनकौर, कासना बस डिपो से बोटेनिकल गार्डन नोएडा वाया सूरजपुर, सिटी पार्क से बोटेनिकल गार्डन वाया नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, सिटी पार्क से दादरी वाया कस्बा सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क से विजय नगर रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, ईकोटेक-तीन से सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन नोएडा वाया चार मूर्ति गोलचक्कर, चारमूर्ति ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिटी पार्क ग्रेटर नोएडा वाया 130 मीटर रोड, सेक्टर-10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सेक्टर-62 नोएडा व तिगरी गोलचक्कर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सेक्टर- 76 मेट्रो स्टेशन नोएडा।

आइटी व आइटीईएस के 78 आवंटियों को फंक्शनल जमा करने का मिल सकता मौका

जासं, नोएडा: आइटी व आइटीईएस में अब 78 आवंटियों को फंक्शनल जमा करने का मौका दिया जा सकता है। वर्ष 2008 में इन्हें 107 भूखंड का आवंटन हुआ था, पर इन पर निर्माण कर फंक्शन प्रमाणपत्र न लेने वाले व तय न्यूनतम कंप्लीशन प्रमाण भी न लेने वाले आवंटियों पर शासन ने वर्ष 2020 में शिकंजा कसा। आठ वर्ष में निर्माण पूरा नहीं करने पर लीज डीड का उल्लंघन माना गया। ऐसे आवंटियों को आवंटन निरस्त करने पर बात हुई। इस पर आवंटियों ने शासन से निर्माण की मोहलत मांगी। दिसंबर 2022 तक निर्माण कार्य पूरा करने की मोहलत दी गई। फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 तक उन्हें मोहलत दी गई। बैठक में इन भूखंडों को लेकर चर्चा हुई। पाया गया कि आवंटित 107 भूखंड में से 78 में अनुमन्य एफएआर व अधिक का निर्माण हो चुका है।

फंक्शनल प्रमाणपत्र को मिल सकता है और मौका

जासं, नोएडा: नोएडा में औद्योगिक विभाग में फंक्शनल सर्टिफिकेट न जमा करने वाले औद्योगिक आवंटियों को एक और मौका दिया जा सकता है। बोर्ड ने वर्तमान स्थिति से शासन को अवगत कराने का निर्णय हुआ। अभी नोएडा के औद्योगिक विभाग में कुल 229 प्रकरण हैं, जिसमें 206 भूखंड इस श्रेणी में शामिल हैं। 31 दिसंबर तक 114 आवंटियों ने कार्यशील प्रमाणपत्र जमा किया। 80 ने जमा नहीं किया। बकाया से चार भूखंड निरस्त हुए। आठ भूखंडों पर कोर्ट केस जारी है। 229 प्रकरण में 23 भूखंड निरस्त हुए। यह रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण ने शासन को संदर्भित की है। एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने कहा कि चेयरमैन ने शासन को उद्यमियों के प्रस्ताव को आगे भेजने की बात कहकर बड़ा दिल दिखाया है।

विपिन कुमार मल्हन • जागरण आर्काइव

मल्टीपल जीपीए रजिस्ट्री को लेकर तैयार होगी कार्ययोजना

जागरण संवाददाता, नोएडा: अमिताभ कांत रिपोर्ट की सिफारिश लागू होने के बाद भी नोएडा में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। प्राधिकरण ने इसका सर्वे कराया। इसमें सामने आया कि नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में बने फ्लैट्स व भूखंड में अधिक संख्या ऐसे परिवार की है, जो निवास कर रहे हैं। उनके पास मल्टीपल पावर आफ एटार्नी (जीपीए) के दस्तावेज है। मल्टीपल जीपीए में नोएडा प्राधिकरण में न कोई रजिस्ट्री हो सकती है, न निरस्त कर फ्लैट पर कब्जा लिया जा सकता है। बोर्ड सदस्यों ने निर्णय लिया कि इस मामले में ठोस कदम उठाया जाए। ऐसे प्रकरण के निवारण को नई व्यवस्था बने। मल्टीपल जीपीए रजिस्ट्री के 1,000 से ज्यादा मामले हैं, जो अभी बढ़ भी सकते हैं।

प्राधिकरण सीईओ डा.लोकेश एम ने बताया कि 10 दिसंबर को एयरफोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड ने एक पत्र में बताया कि जलवायु विहार सेक्टर-21 व सेक्टर-25 नोएडा में करीब 730 परिवार प्रथम जीपीए व इसमें करीब 200 परिवार एक से अधिक जीपीए के आधार पर रह रहे है। यह विवरण महज दो सेक्टर का है। सर्वे में सामने आया कि नोएडा में ऐसे कई सेक्टर हैं, जहां आवासीय संपत्तियों पर एक से अधिक जीपीए के आधार पर लोग रह रहे हैं। इनकी संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है। शासनादेश 2003 के तहत नोएडा में आवासीय व औद्योगिक विकास विभाग के अधीन संस्थानों द्वारा आवंटित परिसंपत्तियों पर पावर आफ अटार्नी के जरिये रजिस्ट्री की एक कार्ययोजना दी गई थी। इसके तहत अप्रैल 2004 से दिसंबर 2004, 13 मई 2005 से 30 मई 2005 व 14 मार्च 2006 से छह माह तक ट्रांसफर शुल्क लेकर रजिस्ट्री की गई। इसके तहत प्रथम अटार्नी से आवंटित मूल्य का 30 प्रतिशत, सेकेंड अटार्नी से 60 प्रतिशत व तीसरे अटार्नी से 90 प्रतिशत शुल्क लिया जाता था। बोर्ड में चर्चा के बाद कहा कि इस मामले में एक नई व्यवस्था बनाई जाए।

मल्टीपल जीपीए के लिए यह शुल्क हो सकता है लागू

आंवटी द्वारा सामान्य रजिस्ट्री करने पर कुल आवंटन दर का 2.50 प्रतिशत, आंवटी के जीपीए होल्डर द्वारा अपने ब्लड रिलेशन रजिस्ट्री को 3.75 प्रतिशत, जीपीए होल्डर द्वारा अन्य के पक्ष में रजिस्ट्री करने पर पांच प्रतिशत, आवंटी के जीपीए होल्डर द्वारा पुन: जीपीए सेकेंड रजिस्ट्री करने पर 10%, जीपीए होल्डर तृतीय द्वारा रजिस्ट्री करने पर 15 प्रतिशत और चौथे, पांचवें, छठे जीपीए होल्डर होने पर रजिस्ट्री किए जाने पर प्रत्येक से पांच प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देय होगा।